

01

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 23-11-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन/अवैध शराब/संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपदीय पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब के संबंध में की गयी अब तक की कार्यवाही में बरामद कुल 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध 60 आबकारी अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

**01-** थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखदेव पुत्र राम नरायन लोध सा0 परसपुर थाना उसका जिला सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0234/2020 पंजीकृत कर 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

**02-** थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र हरिओम सा0 रामप्रसाद नगर कस्बा पुरानी नौगढ़ थाना व जिला सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0330/2020 पंजीकृत कर 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

**03-** थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दुर्गेश पुत्र राधेश्याम सा0-लेदवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0332/2020 पंजीकृत कर 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

**04-** थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01-मासूम रजा पुत्र तौकीर अहमद 02-इस्माईल पुत्र सिकन्दर अली 03-गुलाम हक्कानी पुत्र इस्लाम 04-फजले रब पुत्र साजिद साकिन-हसनगढ़ थाना सोनहा जनपद बस्ती के कब्जे से मालफड़-450/-रुपये जामा तलाशी-700/-रुपये तथा ताश के 52 पत्ते बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0159/2020 पंजीकृत कर 13 जुआ अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

**05-** थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0117/2020 धारा 354,504,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सलमान उर्फ सुहेल पुत्र कैसर अली साकिन-भगोभार थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

02

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 24.11.2020 को श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के नेतृत्व में उ0नि0 श्री कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री रामकरन निषाद द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले 01 व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

03

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 24.11.2020 को उपनिरीक्षक श्री सर्वेशचंद व उपनिरीक्षक श्री अमरेश यादव मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 02 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

04

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 24.11.2020 को उपनिरीक्षक श्री राम प्रकाश मय हमराह के द्वारा वाद संख्या 215/2017 में 102000 रुपए के वारण्ट वसूल जुर्माना से संबंधित वारण्टी राकेश कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला शास्त्री नगर थाना

05

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी यातायात के दिशा-निर्देशन में आज दिनांक 24-11-2020 को माह नवंबर जागरूकता अभियान के तहत सिद्धेश्वरी इंटर कॉलेज में एनसीसी एवं सेंट जेवियर इंटर कॉलेज के छात्रों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 20 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एन्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 20 शोहदे पकड़े गये। शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया | जिसके अंतर्गत जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।

#### **एण्टी रोमियो टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

आज दिनांक 24/11/2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में गोलहौरा थाना-क्षेत्र के बरगदवा में उप निरीक्षक श्री बलजीत कुमार राव, उप निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव व उप निरीक्षक श्री रामानंद यादव मय हमराह कांस्टेबल गिरिजेश यादव, कांस्टेबल अनिल कुमार चौहान व कांस्टेबल सौरभ सिंह द्वारा संदिग्ध वाहनो/संदिग्ध व्यक्तियों एवं कोविड-19 की रोकथाम हेतु मास्क की नही धारण करने वालों की गहनता से चेकिंग की गयी।

**एक अदद कड्डा 315 बोर व 2 जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त थाना शोहरतगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश एवं श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.11.2020 को मुखबीर की सूचना पर धनौरा काशी प्रसाद गांव के पास से एक अभियुक्त को समय करीब 15.30 बजे नाजायज कट्टे के साथ उ.नि. श्री राघवेन्द्र प्रताप यादव मय टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 304/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा गयी।

#### **विवरण बरामदगी**

- 1-एक अदद कड्डा 315 बोर
- 2-दो जिन्दा कारतूस 315 बोर।

#### **नाम-पता अभियुक्त**

वकील पुत्र शकील ग्राम लेदवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे.का. सुरेश चन्द्र गिरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का. प्रदुम्न कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

आज दिनांक 24.11.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में श्री राहुल सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

1. मु.अ.सं. 236/2020 धारा 60 आवकारी अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब वरामद किया गया।

2. शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण -

1. उ.नि.श्री नन्दू गौतम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि.श्री ओमप्रकाश पाण्डेय थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे.का.जगदीश यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. हे.का.शम्भू यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. हे.का.राकेश पासवान थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
6. का.धर्मेन्द्र कुमार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.2020**

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा शोहरतगढ़ सर्किल का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 24-11-2020 को शोहरतगढ़ सर्किल के थाना-शोहरतगढ़, चिल्हिया एवं डेबरूआ का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
6. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
8. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
9. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
10. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
11. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
12. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
13. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।